परिवाद संख्या /2018

प्रवीण कुमार बनाम गौरव कुमार धीमान

Computer No. 453 /2019

14.02.2019

परिवादी द्वारा धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम के अन्तर्गत परिवाद प्रस्तुत किया गया है। परिवादी द्वारा मूल चैक, बैंक द्वारा चैक अनादरित होने के मेमो, नोटिस की प्रतिलिपि एवं रजिस्ट्री रसीद प्रस्तुत है। प्रस्तुत परिवाद समय सीमा के अन्दर है तथा वाद हेतुक उत्पन्न होने के पश्चात प्रस्तुत किया गया है। अतः प्रस्तुत प्रकरण में अभियुक्त गौरव कुमार धीमान के विरूद्ध धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम में कार्यवाही करने का पर्याप्त आधार है तथा अभियुक्त को विचारण हेतु तलब किया जाना न्यायोचित है।

आदेश

प्रस्तुत मामले का परिवादपत्र के आधार पर संज्ञान लिया जाता है। परिवाद दर्ज रजिस्टर हो । अभियुक्त गौरव कुमार धीमान को धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम में विचारण हेतु जरिये समन दिनांक 28.03.2019 के लिए तलब किया जाता है । परिवादी परिवादपत्र की प्रतिलिपि के साथ अविलम्ब पैरवी करे।

अपर सिविल जज (सी.डि)/

ACJM कोर्ट संख्या 3,गाजियाबाद ।